न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00401

1. शिवराज उर्फ श्योजी आत्मज कंवर लाल जाति गुर्जर निवासी लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. आशा पुत्री कंवर लाल जाति गुर्जर पत्नी श्री मूलचन्द गुर्जर निवासी गुजियाहेडी तहसील कनवास जिला कोटा ।
3. सोना उर्फ सूना बाई बेवा कंवर लाल आयु 45 वर्ष जाति गुर्जर निवासी लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. छोटू उर्फ शिन्टू आत्मज कंवर लाल आयु 16 वर्ष जरिये वली माता सोना बाई पत्नी कंवर लाल जाति गुर्जर निवासी लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।
5. कजोडी बाई पुत्री रामनाथ पत्नी बिरधी लाल आयु 53 वर्ष जाति गुर्जर निवासी लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. छीतर लाल आत्मज कालूलाल जाति गुर्जर निवासी हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. चन्द्र बाई पुत्री कालू लाल जाति गुर्जर निवासी हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. मोहनी बाई पुत्री कालू लाल जाति गुर्जर निवासी हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा
4. मांगी लाल पुत्र देवा जाति गुर्जर निवासी हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
5. छोटू लाल पुत्र देवा जाति गुर्जर निवासी हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
6. भंवर लाल पुत्र भैरूलाल गुर्जर ।
7. भूला पुत्र भैरूलाल गुर्जर ।
8. नन्दा लाल पुत्र भैरूलाल गुर्जर ।
9. बाल मुकन्द पुत्र भैरूलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासीगण लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दीपक साहू, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अर्जुन भारद्वाज, भारत सिंह अडसेला, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 15.01.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कोटडा तहसील सांगोद में कुल 06 किता की रकबा 2.98 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण की माता पानाबाई प्रतिवादीगण क्रम 7 लगायत 09 के पिता प्रतिवादी क्रम 10 के पति कंवर लाल व प्रतिवादी क्रम 11 कजोडी बाई व प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 6 व छीताबाई बेवा भैरूलाल के सम्मिलित कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें वादीगण की माता पानाबाई, कजोडी बाई व कंवर लाल का सम्मिलित रूप से 1/2 हिस्सा, प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 6 का सम्मिलित रूप से 1/2 हिस्सा निहित था । ग्राम बरां तहसील सांगोद में खसरा नम्बर 464 की रकबा 0.89 हैक्टर आराजी स्थित है जो वादीगण की माता प्रतिवादी क्रम 11 कजोडी बाई व प्रतिवादीगण क्रम 7 लगायत 9 के पिता व 10 के पति कंवर लाल के सम्मिलित खाते एवं कब्जे काश्त में थी । इसी प्रकार ग्राम लबानिया तहसील सांगोद में कुल 12 किता की रकबा 3.18 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण की माता पाना बाई प्रतिवादी क्रम 11 कजोडी बाई व प्रतिवादीगण क्रम 7 लगायत 9 के पिता व 10 के पति कंवर लाल के संयुक्त खाते में दर्ज थी। वादीगण की माता पानाबाई की मृत्यु से पूर्व व उनकी मृत्यु के बाद उनके हिस्से की आराजी पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण को मृतक पानाबाई के हिस्से की आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते रहने का विधिक अधिकार प्राप्त है । वादीगण की माता पानाबाई का स्वर्गवास हो जाने के बाद प्रतिवादीगण क्रम 7 लगायत 9 के पिता व प्रतिवादी क्रम 10 के पति स्वर्गीय कंवर लाल ने वादीगण की जानकारी के बिना सरपंच ग्राम पंचायत लबानिया व हल्का पटवारी से मिलकर ग्राम कोटडा की आराजी पर इंतकाल नम्बर 61, ग्राम बरां की आराजी पर इंतकाल संख्या 65, ग्राम लबानिया की आराजी पर इंतकाल संख्या 46 तस्दीक कराते हुए मृतक पानाबाई का नाम खाते से खारिज करवाकर कंवर लाल का नाम दर्ज करवा लिया जबकि पटवारी हल्का द्वारा पानाबाई की मृत्यु के बाद खोले गये इंतकाल में उनके वारिसान छीतरलाल (पुत्र), चन्द्रबाई (पुत्री), मोहनबाई (पुत्री) होना अंकित किया है जबकि सरपंच ग्राम पंचायत लबानिया द्वारा वादीगण की लाइल्मी में मृतक पानाबाई के स्थान पर कंवर लाल का नाम दर्ज कर दिया है । जिसके आधार पर कंवरलाल व उनके वारिसान को किसी प्रकार के कोई अधिकार हांसिल नहीं होते हैं । वादीगण को मृतक पानाबाई के हिस्से की आराजी पर कब्जा बनाये रखने का कानूनी अधिकार प्राप्त है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजियात में मृतक पानाबाई के स्थान पर खोले गये इंतकाल ग्राम कोटडा इंतकाल संख्या 61, ग्राम बरां इंतकाल संख्या 65, ग्राम लबानिया इंतकाल संख्या 46 को अवैध घोषित करते हुए मृतक पानाबाई के हिस्से की आराजीयात पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भी हिस्से पर किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त आराजी में से किसी प्रकार की आराजियात को कहीं रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द हस्तान्तरण नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण क्रम 7 लगायत 11 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचित मानते हुए बिना एकतरफा किये हुए जवाब का अवसर बन्द कर वाद डिक्री करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के हिस्से तय किये बिना विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का हिस्सा नहीं मानने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को हल्का पटवारी द्वारा बताने पर निर्णय की नकल दिनांक 25.06.2018 को प्राप्त करने पर हुई । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्टगण को सूचित किये बिना उन्हें जवाब पेश करने का अवसर बन्द कर दावा डिक्री किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । डिक्री में पक्षकारों का हिस्से तय नहीं किया गया है, निर्णय अस्पष्ट है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का हिस्सा नहीं मानने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट का नाम खारिज करने का आदेश पारित किया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण पानाबाई, कजोडी बाई एवं कंवर लाल का सम्मिलित रूप से हिस्सा 1/2 था और प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 6 का सम्मिलित रूप से 1/2 हिस्सा निहित है । उसी अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त हैं । वादीगण पानाबाई के एकमात्र वारिस हैं । कंवर लाल के वारिसान प्रतिवादीगण क्रम 7 लगायत 10 हैं । वादीगण की लाइल्मी में सरपंच ग्राम लबानिया और हल्का पटवारी से मिलकर वादग्रस्त आराजी का इंतकाल तस्दीक करते हुए पानाबाई का नाम खारिज करवा कर कंवर लाल का नाम दर्ज करवा लिया जबकि ग्राम कोटडा की आराजी पर इंतकाल संख्या 61, ग्राम बरां की आराजी पर इंतकाल संख्या 65 हल्का पटवारी द्वारा खोले गये इंतकाल में मृतक पानाबाई के वारिसान का होना अंकित किया गया है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार दर्ज होने और विभाजन कराने के अधिकारी हैं । दिनांक 17.06.2011 को प्रतिवादीगण की ओर से वकील के द्वारा अण्डरटेकिंग पर उपस्थिति दी है और वकालतनामा और जवाबदावा पेश करने के लिए समय मांगा है । दिनांक 21.09.2011 को न्यायालय के द्वारा जवाबदावा पेश नहीं होने के कारण जवाबदावा बन्द किया

है जो विधि सम्मत है । अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.06.2011 को प्रतिवादीगण की ओर से अण्डरटेकिंग पर उपस्थिति दी गई है और दिनांक 20.09.2011 को वकलतनामा पेश किया गया है और इसी तिथि को एक प्रार्थना पत्र वादी की ओर से अन्तर्गत नियम 08 पेश किया गया है । दिनांक 21.09.2011 को इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जवाबदावा बन्द किया गया है और अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । प्रारम्भिक डिक्री में प्रारम्भिक डिक्री आदेश के साथ डिक्री नहीं बनायी गई है । आदेश में कंवर लाल का नाम खारिज करने और 'कंवर लाल की मृत्यु हो जाने पर प्रतिवादीगण क्रम 07 लगायत 10 का नाम दर्ज हो तो उनका नाम खाते से खारिज कर वादीगण को खातेदार घोषित करने की डिक्री पारित की है । पक्षकारों के हिस्से स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किये गये हैं । यदि वादीगण के पक्ष में हक घोषणा की डिक्री पारित की जाती है तो भी कंवर लाल एवं उनके वारिसान के नाम खाते से खारिज नहीं किये जा सकते क्योंकि वादीगण ने स्वयं अपने दावे की मद संख्या 01 में यह अंकित किया गया है कि वादीगण की माता पानाबाई, कजोडी बाई और कंवरलाल का सम्मिलित रूप से 1/2 हिस्सा निहित है । इस प्रकार इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम इस प्रकरण में अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.03.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 15.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15.1.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा